

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

4

मज अदालत उपरवठ अधिकारी मुकाम दोजमीम व
 इजलास पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश आर्य R.A.S
उजवान

मलमंगल फि ज्येश्या
 निवासी - गोर्डा
 लाल - दोजमीम
 करौली

बनाम

- 1) रूपसिंह पुत्र चन्दन
- 2) छुड़न पुत्र देवचन्द
- 3) राम मेजी पाले चन्दन
- 4) सुनिता पाले रूपसिंह
 एमएल जाति गीना निवासी
 गोर्डा तह दोजमीम
 करौली

व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 71 सन् 2014

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई शुरेश चन्द शाह Av. व हाजिरी


शोसी गुप्ता सप. मिनकानिब गुदई रुबरु हगारे

मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

वाकू वादीगण कि क ह प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
 उ की लिया जाक ह प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा
 ए पा बन्द किया जाता है कि ग्राम गोर्डा के खेत
 72, 276 ए में बादीगण के क हने काइत में किसी प्रकार
 2 0.03
 ए मजाहमत, मदारवलत नही करे। ना ही बेदखल करे।

मुबल्लिा बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक
 का अदा करे।

मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 6 सन् 16



मुहर

दस्तखत अजिता कलवट
दोजमीम (करौली)
 ओहदा

रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
		स्टाम्प अर्जी दावा		
		स्टाम्प अर्जी		
		महन्ताना वकील		
		खर्चा गवाहान		
		फीस कमिशनर		
		बाबत इजराय हुक्मनामा		
		मुतफरिक		